राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 4(13) ग्रावि / नरेगा / ह.राज. / 2009–10 जयपुर, दिनांकः– 19/2/2010.

–:: आदेश ::–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत जारी दिशा–निर्देश 2008 के बिन्दु संख्या 6.1.3 में निम्नानुसार प्रावधान है :–

"The maintenance of assets created under the Scheme (including protection of afforested land) will be considered as permissible work under NREGA. The same applies to the maintenance of assets created under other programmes but belonging to the sectors of works approved in Schedule I of the Act."

उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि वन क्षेत्र / वन संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा के कार्य योजनान्तर्गत अनुमत है। योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची के बिन्दु संख्या 2 में सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्य अंकित है। बीजारोपण, पौधा रोपण एंव वन क्षेत्र के रूट स्टॉक को सुरक्षित रखना तीनों ही कार्य पौधा रोपण एवं वन संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। इस कार्य हेतु पक्की चारदीवारी का निर्माण किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः हरित राजस्थान कार्यक्रम जो कि नरेगा योजनान्तर्गत चलाया जा रहा है, के अंतर्गत संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रों, सुरक्षित वन क्षेत्रों तथा अन्य वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पक्की दीवारों का निर्माण कार्य योजनान्तर्गत प्राथमिकता से संपादित कराये जावें, ताकि वन क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जा सके।

योजनान्तर्गत ऐसे कार्यों को एक परियोजना के रूप में संपादित कराये जावे, जिसमें ना केवल चारदीवारी का निर्माण कार्य शामिल हो बल्कि उस वन्य

2 19/2/10.

क्षेत्र में अन्य कार्य यथा जल संरक्षण/संग्रहण के कार्य, पौधा रोपण के कार्य आदि कार्य भी सम्मिलित हो। कार्य का तकमीना पूर्णरूपेण तैयार किया जावे एवं इसमे निम्न बातों का ध्यान रखा जावेः–

- कार्य का तकमीना ग्राम पंचायतवार बनाया जावे।
- तकमीने में वर्षवार संपादित की जाने वाली गतिविधियां स्पष्टतः अंकित की जावे।
- कार्यवार श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 सुनिश्चित किया जावे।
- कार्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जावे।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

(सी.एस राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, मा0 मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, मा0 मंत्री वन विभाग।
3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि)।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग।
6 प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
7 जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान।
8 अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9 रक्षित पत्रावली।
10. प्रभारी हरित राजस्थान
11. प्रोग्रामर वेबसाइट पर अपलोड हेतु

19/2/10
परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस